रजिस्टर्ड ए0डी0

छत्तीसगढ़ शासन
गृह (पुलिस) विभाग
(मंत्रालय)
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

:: आदेश ::

अटल नगर दिनांक 04/09/2024

क्रमांक एफ 2–23/दो–गृह/रापुसे/2023 :: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष, 2022 में संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर राज्य पुलिस सेवा (उप पुलिस अधीक्षक) में नियुक्ति के लिए अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नलिखित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष की परिवीक्षा पर राज्य पुलिस सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (रूपये 56100–वेतन मेट्रिक्स–12) में नियुक्त करते हुए, **पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, चंदखुरी, रायपुर** में पदस्थ किया जाता है :–

स.क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	चयन का वर्ग	वर्तमान पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	1	**सुश्री सुमन जायसवाल**	अनारक्षित	D/O श्री फिरत राम बम्हनीडीह वार्ड नं.–08, जिला जांजगीर–चाम्पा (छ0ग0) पिन कोड 495660
2	2	**श्री आकाश चौधरी**	अनारक्षित	S/O श्री विनोद कुमार चौधरी दुर्गा मंदिर के पास, फ्रेजेरपुर, शांतिनगर वार्ड–25, थाना बोधघाट जगलदपुर, जिला बस्तर (छ.ग.) पि.नं. 494001
3	3	**श्री सुमित चन्द्रा**	अनारक्षित	S/O श्री लखन लाल चन्द्रा D–228, कैलाश विहार जैलगांव चौक, दर्री कोरबा (छ.ग.) पि.नं. 495450
4	4	**सुश्री आस्था शर्मा**	अनारक्षित	S/O श्री गौरीशंकर शर्मा आनंदी निवास, ए–61, जीवन कॉलोनी, राजनांदगांव (छ.ग.) पि.नं. 491441
5.	5	**श्री दानेश्वर प्रसाद साहू**	अन्य पिछड़ा वर्ग	S/O श्री सुरेश कुमार मकान क्र. 80, डिलवापारा, तेलीखाम्ही पो. गोंडखाम्ही, तह. लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.) पि.नं. 495115

---2

6.	6	**श्री निशांत कुर्रे**	अनुसूचित जाति	S/O श्री नकुल कुर्रे 3/580, शांतिनगर रिंग रोड–2, बिलासपुर (छ.ग.) पि.नं. 495001
7.	7	**श्री अजय कुमार नागवंशी**	अनुसूचित जनजाति	S/O श्री पोखन लाल नागवंशी केयर ऑफ सहदेव सेठिया क्वाटर नं. H–71–72, धरमपुरा नं. 02, जगदलपुर (छ.ग.) पि.नं. 494001
8.	8	**श्री अमित कोसमा**	अनूसूचित जनजाति	S/O श्री धनराज कोसमा जामपारा पो. बैजनपुरी, थाना भानुप्रतापपुर जिला कांकेर (छ.ग.) पि.नं. 494670

2/ नियुक्ति की शर्ते :–

1. यह नियुक्ति अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष की परिवीक्षावधि पर की जाती है। परिवीक्षावधि 03 वर्ष या शासन द्वारा बढ़ाये जाने पर उससे अधिक की होगी।

1. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये वचन पत्र/शपथ पत्र के आधार पर अनंतिम रूप से प्रदान की जा रही है। पुलिस सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवायें स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

2. राज्य सेवा परीक्षा–2022 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

3. यह नियुक्ति अनन्तिम (Privisional) है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर यदि आरक्षित वर्ग का दावा सही सिद्ध नहीं होता है तो बिना कोई कारण बतायें समुचित विधिक कार्यवाही के साथ–साथ संबंधित की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

4. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा तैयार कार्यक्रम अनुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होना होगा। वरिष्ठता का अंतिम रूप से निर्धारण करते समय पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्त अंकों को भी शामिल किया जा सकेगा।

...3

5. पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को प्रशिक्षण केन्द्र में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। परिवीक्षा अवधि में परीक्षा में असफल रहने पर अधिकारी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

6. इन अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2005 के अंतर्गत शासित होगी।

7. अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी अस्थायी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य के बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे, तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह की अवधि में से जितनी अवधि कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा। एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त 4 के अंतर्गत देय रकम उनसे भू–राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।

8. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/अंक सूची अथवा अन्य अभिलेख फर्जी/त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर यह नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

9. जो अभ्यर्थी पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत है, वे उचित माध्यम से अपना तकनीकी त्याग–पत्र/त्याग–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही उपस्थिति देंगे।

10. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाए और उन्हें लागू किया जाए के अध्यधीन रहेंगे।

11. परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बाण्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। **बाण्ड का प्रारूप संलग्न है**। इसे भरकर पदस्थापना स्थान पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, चंदखुरी में उपस्थित होने पर प्रस्तुत करें।

....4

12. उपर्युक्त चयनित अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभर ग्रहण नहीं करने की दशा में उनकी नियुक्ति आदेश स्वयंमेय निरस्त माना जावेगा जिसके लिए पृथक से कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

3/ पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम पृथक से जारी किये जावेंगे।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

4.9.2024

(डी.एस. ध्रुवे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग

पृ0 क्र. एफ–2–23/दो–गृह/रापुसे/2023, अटल नगर दिनांक 04/09/2024

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर,
3. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर,
6. सचिव, छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र कमाक 2611/23/चयन/2023/02, दिनांक 08.09.2023 के संदर्भ में।
7. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर,
8 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर,
9 उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
10. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,

11. निदेशक, पुलिस अकादमी, चंदखुरी रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व निवास प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों की सूक्ष्मता से जांच की जाये और पूर्ण संतुष्टि उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करायें। यदि जांच के दौरान कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो इन्हें कार्यभार ग्रहण न कराकर इनका जांच प्रकरण इस विभाग को उचित मार्गदर्शन हेतु प्रेषित करें। कृपया संबंधित उम्मीदवारो से कार्यभार ग्रहण कराने के **पूर्व बाण्ड फार्म** भरवाने का कष्ट करें।

12. संबंधित श्री/सुश्री/श्रीमती..

....

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप आदेश प्राप्ति के **15 दिवस** के भीतर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, चंदखुरी में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आपकी प्रशिक्षण अकादमी में उपस्थिति इस विभाग की पूर्व अनुमति के स्वीकार नहीं की जावेगी । **(रजिस्टर्ड एडी)**

13. आर्डर फाईल...

4.9.2024

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग